प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 776 सन 2021

अनवान :–

1. शंकरलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सरजीत पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
2. रूधवीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
3. मनुपाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
4. सुमित्रा पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
5. बिरमा पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
6. किस्तुरी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
7. कृष्णा पुत्री सुरस्ती पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
8. अजय कुमार पुत्र सुरस्ती पुत्री भगीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
9. राजबाला पुत्री सुरस्ती पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
10. संजीव पुत्री सुरस्ती पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
11. सुनीता पुत्री जगदीश पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
12. कमला पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नेाहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 122/121 की कुल 4.7930हैक् भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के पिता भागीरथ, तथा प्रतिवादी संख्या 11 ,12 प्रत्येक 1/15 हिस्सा तथा खाता संख्या 70/70 की कुल 10. 2180हैक् में से 1/5 हिस्सा मृतक भागीरथ एव प्रतिवादी संख्या 11 ,12 प्रत्येक के 1/15 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागीरथ पुत्र टीकुराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है जो भागीरथ के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 वादी की बहने है एवं भागीरथ की पुत्री/पौत्री/माता है प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की वाद भूमि मृतक भागीरथ एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 के नाम से दर्ज है भागीरथ का देहान्त हो चुका है जिनका देहान्त हो चुका हे जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो भागीरथ के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 122/121 की कुल 4.7930हैक्‍ भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के पिता भागीरथ, तथा प्रतिवादी संख्या 11 ,12 प्रत्येक 1/15 हिस्सा तथा खाता संख्या 70/70 की कुल 10. 2180हैक्‍ में से 1/5 हिस्सा मृतक भागीरथ एव प्रतिवादी संख्या 11 ,12 प्रत्येक के 1/15 हिस्सा दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के पूर्वज भागीरथ के नाम दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका हे भागीरथ के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 122/121 की कुल 4.7930हैक्‍ भूमि तथा खाता संख्या 70/70 की कुल 10.2180हैक्‍ मुश्तरका भूमि में उक्त दोनो खातों में भागीरथ पुत्र टिकुराम व प्रतिवादी संख्या 11 ,12 का नाम कलमजन किया जाकर पूर्व मे दर्ज भूमि सहित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....ढण्ढेला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. शंकरलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सरजीत पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
2. रूधवीर पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
3. मनुपाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
5. बिरमा पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
6. किस्तुरी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
7. कृष्णा पुत्री सुरस्ती पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
8. अजय कुमार पुत्र सुरस्ती पुत्री भगीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजबाला पुत्री सुरस्ती पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
10. संजीव पुत्री सुरस्ती पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
11. सुनीता पुत्री जगदीश पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
12. कमला पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 776 सन 2021 निर्णय दिनांक– 22.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 122 / 121 की कुल 4.7930हैक् भूमि तथा खाता संख्या 70 / 70 की कुल 10.2180हैक मुश्तरका भूमि में उक्त दोनो खातों में भागीरथ पुत्र टिकुराम व प्रतिवादी संख्या 11 ,12 का नाम कलमजन किया जाकर पूर्व मे दर्ज भूमि सहित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब 3 / 4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1 / 4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट ढण्ढेला